

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/

दिनांक:

-आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आ. जॉच कार्यक्रम/2023-24/3934 दिनांक 28.06.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यक्रम में गठित जॉच दल	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	आदेशित अंकेक्षण लेखावधि	पूर्व में निर्धारित अंकेक्षण तिथि	जांच हेतु निर्धारित तिथि
11.	श्री शिव कुमार AAO-I श्री मदन लाल AAO-II जोन- अजमेर	सीएचसी कोटडी (भीलवाडा)	04/17 से 03/23	-	14.09.23 से 30.09.23

Sd

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 15/9/23

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/5331-33

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- अजमेर।
2. श्री शिव कुमार AAO-I एवं श्री मदन लाल, AAO-II जोन- अजमेर को पालनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

24

उप वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर